सतलुज–यमुना सम्पर्क नहर – कुछ वास्तविकताएं

रणधीर सिंह सुमनसंपादक
अध्यक्ष, पंजाब एकता पार्टी

निर्दिष्ट समय-सीमा में केंद्रीय एजेंसी द्वारा सतलुज-यमुना लिंक (एस.वाई.एल.) नहर के निर्माण हेतु निर्दिष्ट खोदी करने का भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय खेती की कमी से जूझ रही हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए निश्चय ही ऐतिहासिक फैसला है।

हरियाणा के पक्ष में अंतर्राज्य जल विवाद का अंतिम निर्णय श्रीमती इंदिरा गांधी व राजीव जी के केंद्रीकृत प्रयासों का फल है। इंदिरा जी और राजीव जी दो ही ऐसे व्यक्तित्व हैं, जो हरियाणा की मूलभूत भावना को भली-भांति समझ पाए हैं और जून 4,2004 के निर्णय का श्रेय उन्हें व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जाता है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री ओमप्रकाश चौटाला व उनके पिता श्री. श्री देवी लाल के एस.वाई.एल. नहर के निर्माण में कानूनी खोदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हैरानी इस बात की है कि अब वही लोग इस ऐतिहासिक फैसले का श्रेय लेने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस व उसकी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति आभार व्यक्त करना तो दूर, ये अपने ही पीठ ठोकने में जुटे हुए हैं। पत्रकारों को सच्चाई के आइने को धुंधला नहीं होने। इस अवसर पर हम हरियाणा राज्य के निवासियों के समक्ष वास्तविकता दर्शित करना चाहते हैं जिससे उन्हें स्वयं ही आभास हो जाएगा कि जोड़ नहर का पानी लाने का सही प्रयास करने वाले उनके हितकारी कौन हैं और उनमें रोड़े अटकाने वाले अवरोधक कौन? तथ्य इस प्रकार हैं :

1. तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल स्वयं पेहवा और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के बीच हुई सिंधु जल संधि, 1960 में पंजाब (संयुक्त पंजाब सहित) को पक्षियों का भारत के अधिकारों को नजर किया गया। बंटवारे के बाद संयुक्त पंजाब सरकार व भारत ने भी कई पक्षियों का गठन किया ताकि पंजाब के हर क्षेत्रों को भी पानी दिया जा सके, जो इस समय हरियाणा राज्य में आते हैं। इन सभी पक्षियों ने पंजाब को पक्षियों में हरियाणा के लिए भी एक कड़े किसी की सिफारिश की। इनमें से 12 जनवरी 1965 को गठित 'हरियाणा विकास समिति' की सिफारिशें विशेष तौर पर प्रमुख हैं। दोनों समितियों ने संयुक्त पंजाब में हरियाणा क्षेत्र के लिए पानी की लगभग 4.56 मिलियन एकड़ फुट (एम.ए.एफ.) मात्रा की सिफारिश की।

2. 1 नवम्बर, 1966 को हरियाणा का जन्म हुआ। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 78 के अनुसार श्रीमती इंदिरा गांधी की पहल पर भारत सरकार के दिनांक 24 मार्च 1976 को जारी आदेशानुसार जल के आवंटन का निर्णय हुआ। हरियाणा व पंजाब को 3.5 एम.ए.एफ. प्रति राज्य जल का आवंटन हुआ और साथ ही यह निर्णय भी लिए गए कि हरियाणा को जल का हिस्सा देने के लिए पंजाब के क्षेत्र में एक नहर की खुदाई कराई जाए।

3. पंजाब राज्य द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 78 के अधिनियम की घोषणा को चुनौती देने के साथ ही दिनांक 24 मार्च, 1976 के उक्त आदेश को विलंब के पेंच में डा.आ.रा.। 31 दिसम्बर 1981 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया और उनकी पहल पर हरियाणा, पंजाब व राजस्थान राज्यों के बीच 31.12.1981 को एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के तहत हरियाणा को फिर 3.5 एम.ए.एफ. व पंजाब व राजस्थान को राज्यों-वार के कुल अतिरिक्त जल में से क्रमशः 4.22 व 8.60 एम.ए.एफ. जल का आवंटन किया गया। करार के तहत एस.वाई.एल. नहर के निर्माण का कार्य 2 वर्ष के अंदर पूरा होना था।

4. 8 अप्रैल 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार फिर नहर की और पंजाब के क्षेत्र में कपूरी से नहर की खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया।

5. पंजाब क्षेत्र में एस.वाई.एल. नहर की खुदाई 1982 के बाद प्रारंभ हुई और लगभग 90% पक्षियात कार्य जून, 1987 वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पूरा हो गया। इसी प्रकार हरियाणा क्षेत्र में नहर निर्माण भी जून 1987 से पहले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पूरा हो चुका था।

6. इस बीच पंजाब राज्य ने कानूनी उलझनें पैदा। पंजाब व देश को उग्रवाद की आग में झोंकने और से खुलकर दिया।

श्रीमती इंदिरा गांधी के बलिदान को भुनाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने एक बार फिर पहल की। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और सिरसौनि अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच 24 जुलाई, 1985 को 'राजीव-लोंगोवाल समझौता' के नाम से प्रसिद्ध एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अकाली दल की ओर से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला भी समझौते में पक्ष थे। जल के आवंटन तथा पंजाब व हरियाणा राज्यों के दावों पर निर्णय लेने के लिए भारत सरकार एक ट्रिब्यूनल की नियुक्ति के लिए सहमत हो गई। चन्द्रावती की जो बी.बी. इसकी अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल चन्द्रावत ट्रिब्यूनल ने पंजाब और हरियाणा के दावों का ठीक किया, एतद्वारा अंतरिम सरकारों और दोनों पक्षों को दलीलों को सुना।

30 जनवरी 1987 को इसारी ट्रिब्यूनल ने अपना आदेश जारी किया, जिसके तहत राजस्थान व दिल्ली को जल आवंटन के साथ-साथ हरियाणा को 3.83 एम.ए.एफ. और पंजाब को 5.00 एम.ए.एफ. जल का आवंटन किया गया।

महत्वपूर्ण है कि श्री देवी लाल व श्री ओमप्रकाश चौटाला ने 24 जुलाई, 1985 को हुए राजीव-लोंगोवाल समझौते तथा इसारी ट्रिब्यूनल के दौरों व कार्यवाहियों का बहिष्कार किया था। लोकदल कार्यकर्ताओं ने इसारी ट्रिब्यूनल को काले झंडे तक दिखाए व ट्रिब्यूनल को कार्यवाई को हरियाणा के हितों पर कुठाराघात बताया।

7. 1991 में हरियाणा को कांग्रेस सरकार ने नहर के निर्माण कार्य को पूरा करवाने के लिए पंजाब राज्य को निर्देश देने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 15.1.1996 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसी कार्य के लिए पूरानी याचिका को वापस लेते हुए एक संशोधित याचिका दायर की। 15 जनवरी 2002 को माननीय न्यायालय ने हरियाणा सरकार की याचिका को स्वीकृत करते हुए पंजाब सरकार को नहर का निर्माण कार्य एक वर्ष में पूरा करने के लिए निर्देश जारी किए। पंजाब सरकार के असफल रहने पर अदालत ने दोबारा निर्देश जारी करते के लिए अवमान याचिका दायर की गई, जिसके फलस्वरूप जून 4, 2004 का यह निर्णय हमारे सामने है।

8. सच्चाई यह है कि पंजाब के क्षेत्र में एस.वाई.एल. के निर्माण का 75% हरियाणा कार्य और हरियाणा के क्षेत्र का 100% हरियाणा कार्य कांग्रेस के शासनकाल में पूरा हो चुका था। इस अवधि के दौरान श्री भजन लाल मुख्यमंत्री थे तथा श्री हरमोहन सिंह यादव पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसारी ट्रिब्यूनल के समक्ष एस.वाई.एल. के संदर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कार्यभार भी श्री सुनीलदत्त के कंधों पर ही था।

सच्चाई अपनी बात स्वयं कह देती है। यह कांग्रेस और उसके नेता श्रीमती इंदिरा गांधी व राजीव गांधी ही थे, जिनकी सोच और दूर दृष्टिकोण की बदौलत हरियाणा की भूखी धरती को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मुहैया कराने हेतु जून 4, 2004 का यह निर्णय आकार ले पाया। एस. श्री देवी लाल और ओम प्रकाश चौटाला तो एस.वाई.एल. नहर के निर्माण कार्य में केवल रोड़े ही अटकाते रहे। यदि हरियाणा के किसान भाइयों के साथ कोई भी सच्चाईपूर्ण संबंध का आभास उनके दावों में झलक रहे। इसका श्रेय लेने से पूर्व श्री ओमप्रकाश चौटाला व उनकी पार्टी को इन सच्चाईयों का आभास अवश्य देना चाहिए।

क. 24 जुलाई 1985 को हुआ 'राजीव लोंगोवाल समझौता' श्री जून 4, 2004 के निर्णय की बुनियाद है। उसी समझौते के तहत भारत सरकार ने 2 अप्रैल, 1986 को 3 न्यायाधीशों के इसारी ट्रिब्यूनल का गठन किया था। श्री देवी लाल व श्री ओमप्रकाश चौटाला, दोनों ही तत्कालीन लोकदेवल समझौता तथा इसारी ट्रिब्यूनल के दौरों व कार्यवाहियों का बहिष्कार किया था। क्या श्री ओमप्रकाश चौटाला किसी ऐसे आदेश के निर्णय का श्रेय ले सकते हैं, जिसके गठन का स्वयं उन्होंने व उनकी पार्टी ने बहिष्कार किया हो।

ख. इसारी ट्रिब्यूनल का निर्णय 30 जनवरी, 1987 को आ गया था। श्री देवी लाल के नेतृत्व में लोकदल ने 12 जून, 1987 को एक सरकारी। श्री देवी लाल व श्री ओमप्रकाश चौटाला, दोनों ही मुख्यमंत्री रहे। श्री चौटाला इस बात का स्पष्टीकरण करें कि एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए 1987-91 के दौरान उन्होंने कोई याचिका क्यों दायर नहीं की।

ग. 1977 से 1979 के दौरान श्री देवी लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और उनके चचेरे भाई स. प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री थे।

1987 से 1991 के दौरान श्री देवी लाल व ओमप्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। श्री देवी लाल ने 1990-91 के दौरान प्रधान के उपप्रधानमंत्री के पद पर भी रहे। इस अवधि के दौरान श्री देवी लाल द्वारा सिंधुल श्री वर्मा पंजाब के मुख्यमंत्री थे। चाहे केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर कांग्रेस की देवी लाल व ओम प्रकाश चौटाला के हाथों में थी। 1990-2000 में श्री ओम प्रकाश चौटाला फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और स. प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री थे।

हरियाणा के पक्ष में पानी के दीवारों को सख्त आवंटन होने के बावजूद श्री चौटाला ने स. प्रकाश सिंह बादल व सिरसौनि अकाली दल के अन्य नेताओं पर एस.वाई.एल. नहर के निर्माण हेतु दबाव नहीं डाला।

घ. 1977-1979, 1987-91 व 1999-2004 के दौरान हरियाणा व पंजाब में एस.वाई.एल. नहर के निर्माण का एक इंच कार्य भी नहीं हुआ। इस दौरान श्री देवी लाल या श्री चौटाला व उनकी पार्टी हरियाणा की जनता पर आक्रोशित रही।

इस अवधि के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने एस.वाई.एल. नहर के निर्माण हेतु एक रुपया, एक ईंट तक का आवंटन क्यों नहीं किया?

श्री ओमप्रकाश चौटाला एस.वाई.एल. नहर के निर्माण का श्रेय कैसे ले सकते हैं, जबकि उनके मुख्यमंत्रीत्व पद के कार्यकाल में नहर के निर्माण का काम पूरी तरह ठप्प पड़ा रहा?

अंतर राज्यीय-न्यायालय का निर्णय स्वागत है। समय पीठ पत्थराने का नहीं न ये ही हुआ हमारी न्यायालय व्यवस्था पर दोषारोपण करने का। आज आवश्यकता है पंजाब निवासी एकजुटता से उठकर पंजाब के सभी किसानों, व्यापारियों, किसान संगठनों, समाज सेवी संस्थाओं व स्वयं सहायता किसान से काम करने की। उन्हें यह विश्वास दिलाएंगे की दो भाइयों (पंजाब व हरियाणा) की समृद्धि का सर्वोत्कृष्ट पंजाबना हरियाणा के गरीब किसान द्वारा पंजाब के हकों को छीनने का उपाय नहीं अपितु हरियाणा की भूखी व प्यासी धरती को पानी पहुंचाने की एक छोटी सी पेशा है। हरियाणा व पंजाब का किसान-मजदूर भी पंजाब का ही एक हिस्सा है। हमें भी इसी सिख व हिन्दू भाइयों पर उतना ही गर्व है जितना पंजाब को। इसलिए हरियाणा एस.वाई.एल. जोड़ नहर के निर्माण से उसका (पंजाब के किसान) का अधिकार नहीं ले रहा बल्कि 35 लाख मुसलमान अपना वाजिब हक ले रहा है। इसलिए इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेंकने वाले नेताओं की दुत्कार कर, दोनों प्रांतों में शांत वातावरण बहुआयाम का स्थापित कैसा कर सच्चे सपूतों की भांति कानून की इस लड़ाई को पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। ☐

कल एस.वाई.एल. और पंजाब के सिंचाईमंत्री श्री. दरबारी लाल का आलेख पढ़ें। —सं.